5/18

अधिवक्ता वादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादीगण उप0। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राजकुमार व भूपराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नेकीराम ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह कथन किये हैं कि प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 6 के पिता के समय ही प्रतिवादी संख्या–2 राजकुमार द्वारा एक राजस्व वाद शीर्षक "राजकुमार बनाम रेंवतराम आदि" राजस्व वाद संख्या–221/2007 प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25–04–2011 को निर्णय होकर नियमानुसार विभाजन हो चुका है। वादिया शीलादेवी को उक्त दावा का पूर्व में ज्ञान था तथा उस समय वादिया प्रतिवादी संख्या–1 राजकुमार के साथ रहती थी। दावा में वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादीगण को कानून अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25–04–2011 द्वारा मिली है जिसमें शीलादेवी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादिया को अपने पति रेंवतराम के हिस्से से नियमानुसार उसके हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने यह भी कथन किये कि प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 6 के पिता व वादिया के पति श्री रेवतराम राजकीय सेवा में कर्मचारी थे जिससे वादिया को लगभग 15000/–रूपया मासिक पारिवाारिक पेशन के रूप में मिलत है जिसके कारण वादिया अपना भरण–पोषण करने में सक्षम है। वादिया ने वाद हाजा आरटीए तथा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत सम्मिलित वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने यह भी कथन किये प्रश्नगत भूमि का पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय हो जाने के कारण वर्तमान में पुनः दावा प्रस्तुत करने की अधिकारिता वादिया को नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के अधिवक्ता ने न्यायदृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज 318 पेश किया।

वादिया के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या–2 में दर्ज तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में वादपत्र "राजकुमार बनाम रेवतराम आदि" राजस्व वाद संख्या–221/2007 प्रस्तुत करने व दिनांक 25–04–2011 को निर्णित होने के कथन स्वीकार है, लेकिन उक्त मुकदमा में वादी राजकुमार द्वारा वादिया को मृतक रेंवतराम की पत्नि होने के बावजूद जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। वादिया के

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

पति रेवंतराम को चक 29 एमएमके व चक 30 एमएमके तहसील हनुमानगढ़ के दोनों चकों में कुल हिस्सा 5.550 हैक्टेयर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि थी। वादिया रेंवतराम की विधिक पत्नि होने के कारण अन्य प्रतिवादीगण के साथ वादिया का बहिस्सा बराबर–बराबर 1/7 हक व हिस्सा उक्त कृषि भूमि में प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु राजकुमार द्वारा वादिया को कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा कृषि भूमि में हिस्सा ना देने की मंशा से जानबूझकर पूर्व में प्रस्तुत किये गये वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया तथा वादिया के पति रेवंतराम के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दावा डिक्री करवा लिया, जिसका ज्ञान वादिया को कभी नहीं हुआ। राजकुमार वादिया का पुत्र न होकर वादिया के पति रेवंतराम की पूर्व पत्नि शान्ति देवी का पुत्र है, जिसके साथ शुरू से ही वादिया का विवाद रहा है इस कारण वादिया का राजकुमार के साथ रहने के कथन्न कतई गलत एवं झूठ अंकित किये गये है। वादिया ने जबाव प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किये कि प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कथन स्वीकार है लेकिन राजकुमार द्वारा प्रस्तुत पूर्व मुकदमा संख्या–221/2007 में वादिया को मृतक रेंवतराम की विधिक पत्नि होने व प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/7 हक व हिस्सा होने के बावजूद जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया तथा वादिया के पति मृतक रेवंतराम के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर उक्त मुकदमा का निर्णय पारित करवाया गया था, इसलिए वादिया द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि 1/7 हिस्सा हक व हिस्सा को प्राप्त करने हेतु व पूर्व में राजकुमार द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि विधि अनुसार पोषणीय है। वादिया ने अपने प्रार्थना–पत्र यह भी कथने किये कि वादिया के भरण–पोषण व पारिवारिक पेंशन के कथन किये गये है जो उक्त अनवान के दावा से किसी भी तरह से सम्बधित नहीं है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रश्नगत भूमि में अपने 1/7 हक व हिस्सा को जरिये घोषणात्मक आज्ञा से प्राप्त करने हेतु व अपने 1/7 हक व हिस्सा की कृषि भूमि में शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने हेतु अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए अधिनियम तथा प्रश्नगत भूमि में वर्तमान खाता दुरूस्त कर वादिया का 1/7 हिस्सा निश्चित करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत किया है। वादिया ने कथन किये उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का यह कथन मानने योग्य है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 6 के पिता के समय ही प्रतिवादी संख्या–2 राजकुमार द्वारा एक राजस्व वाद शीर्षक

Scanned by CamScanner

''राजकुमार बनाम रेंवतराम आदि'' राजस्व वाद संख्या–221/2007 प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25–04–2011 को निर्णय होकर नियमानुसार विभाजन हो चुका है। वादिया शीलादेवी को उक्त दावा का पूर्व में ज्ञान था तथा उस समय वादिया प्रतिवादी संख्या–1 राजकुमार के साथ रहती थी। दावा में वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादीगण को कानून अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25–04–2011 द्वारा मिली है जिसमें शीलादेवी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादिया को अपने पति रेंवतराम के हिस्से से नियमानुसार उसके हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त हो चुकी है। वादिया को उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में आपति है तो वादिया को उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील के अधिकार है। वादिया प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री की मौजूदगी में इस वादपत्र में कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। पूर्ववर्ती वाद में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन हो जाने से यह वादपत्र रेसज्यूडीकेटा के सिद्वान्तों के अनुसार पोषणीय नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 13–09–2017 स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादी विधितः वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner